

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
<p>1 शुवानाथ पुत्र शिवलाल कुशल - शिवलाल</p>		
<p>राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत</p>		
वाद-पत्र नम्बर	333/2021	GCMS No. 202/1140
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
12/11/2021	<p>वादी श्री (शुवानाथ पुत्र शिवलाल) पुत्र शिवलाल जाति कुशल निवासी शिवलाल द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पोन्नग में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2076-2078 ग्राम शिवलाल पटवार मण्डल पोन्नग के खाता नम्बर 2 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि (शुवानाथ पुत्र शिवलाल) दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम (शुवानाथ पुत्र शिवलाल) है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 8319 2287 6857 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी पोन्नग भू.अ.नि पोन्नग एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	
	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>	



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

1358-1358